कृषि के पुनरूत्थान के लिए कीटनाशक विनियमों में आशोधन

नरेश मनोचा

प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह चाहते हैं कि सरकार के उच्चाधिकारी अर्थव्यवस्था में भी सुधार के लिए कड़ा परिश्रम करें जिसके लिए वे व्यवसाय में आत्मविश्वास लाएं, सुधारों और वृद्धि की गति बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर लौट सके। इस प्रकार से वार्तालाप करने के लाभ या कार्यों से संबंधित क्षेत्रों और उद्योगों की प्रगति हो सकती है जिनके पास इस प्रकार की शक्तियां हैं कि वे इन कार्यों के सम्पर्क में रहते हैं।

परिवर्तन के लिए इस प्रकार के प्रयास भारत के नकारे क्षेत्रों में भी किए जाने चाहिए जैसे कृषि और संबंधित क्षेत्र, उद्योग जैसे कीटनाशक, बीज और उर्वरक। आने वाली सरकारों ने कृषि क्षेत्र को सुधारने और इसके पुनरूत्थान के लिए आधे दिल से काम किया या पूरे प्रयास नहीं किए जैसा फसल सुरक्षा के मामले से स्पष्ट है।

12 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है जब कीटनाशक अधिनियम 1968 में सुधार करने के लिए प्रयास किए गए थे या नए कीटनाशक कानून बनाए गए थे। लोकसभा के प्रत्येक सत्र के आरंभ में सरकार कीटनाशक प्रबन्धन बिल (पीएमबी) 2008 को बिलों की सूची में शामिल करती है ताकि इन्हें पारित किया जा सके। किन्तु इन पर कभी विचार ही नहीं हुआ। किन्तु प्रत्येक स्थिति में, पीएमबी, जिसे संसदीय कृषि स्थाई समिति ने फरवरी, 2009 में अनुमोदित किया था उसके पुनरूत्थान की आवश्यकता है।

देश को एक फ्रेम वर्क की आवश्यकता है जो कीटनाशकों के सुरक्षित और कारगर उपयोग पर बल दे तथा उच्च फसल देने वाली किस्मों की अति आवश्यकता है जिनमें जैनिटीकल फसलें भी शामिल हैं। इस दुविधा और अनिश्चितता के माहौल में कीटनाशक उद्योग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहो है और किसानों पर उसका बुरा प्रभाव लगातार पड़ रहा है।

कीटनाशक उद्योग एक बेतुकी तस्वीर प्रस्तुत करता है। विद्यमान विनियम इतने कड़े हैं कि वे किसी भी अच्छे निर्माता को समस्या में तब डाल सकते हैं यदि उनकी ओर से कोई छोटी सी भी गलती होती है जैसे किसी ऐसी सहायक कम्पनी से कीटनाशक आयात करना जो उसके मूल समूह की नहीं है और जिसका उल्लेख आयात परमिट में नहीं किया गया है। इस नियामक बाधा का प्रभाव यह है कि कीटनाशक उद्योग अपने उत्पादन को सस्ता नहीं कर पाता न ही इससे संबंधित उत्पाद किसान को सस्ते में मिलता है।

पुराने कीटनाशक अधिनियम में कतिपय अन्य विनियमों में या तो कमी पाई गई है या उन्हें आधे दिल से लागू किया गया है। इस प्रकार कानून समगलर, नकली कम्पनियों को आजादी देता है कि वे विभिन्न रसायनों के रूप में कीटनाशकों का आयात करें ताकि उन्हें शुल्क न देना पड़े या कम देना पड़े और आयात प्रतिबंधों से भी छुटकारा मिले। इसी प्रकार फेरी वाले व्यापारी भी गैर अनुमोदित उत्पाद, नकली उत्पाद और मिलावटी या एक्सपाईरी उत्पादों की बिक्री करते हैं उनका काम अच्छा चल रहा है।

कानून बहुत सी रासायनिक कम्पनियों पर बल देता है कि वे नियमित रूप से कानून का सख्ती से पालन करें क्योंकि वे ऐसा रसायन उपयोग करते हैं जिसे